रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092024-257524
CG-DL-E-26092024-257524

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3872] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2024/आश्विन 4, 1946
No. 3872] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2024/ASVINA 4, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2024

का.आ. 4230(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक है, अतः एतद्द्वारा फ्लेम प्रोड्यूसिंग लाइटर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामत: -

1. (1) इस आदेश को फ्लेम-प्रोड्यूसिंग लाइटर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. फ्लेम प्रोड्यूसिंग लाइटर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 में, पैरा 2 में, -

(क) उप-पैरा (2) में, "बशर्ते कि कुछ भी नहीं" शब्दों के स्थान पर "कुछ भी नहीं" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-पैरा (3) में, "बशर्ते कि कुछ भी नहीं" शब्दों के स्थान पर "कुछ भी नहीं" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) उप-पैरा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

(4) इस आदेश की कोई भी बात ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किसी विनिर्माता या आयातक द्वारा, या ऐसे विनिर्माता द्वारा या आयातक, जिसने उक्त सामानों या वस्तुओं के प्रमाणन के लिए उक्त ब्यूरो के समक्ष आवेदन किया है, इस आदेश के प्रारंभ होने से पहले घरेलू रूप से विनिर्मित या आयातित सामानों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगी और ऐसे विनिर्माता फ्लेम प्रोड्यूसिंग लाइटर (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 के प्रारंभ होने की तारीख से छह महीने तक ऐसे घोषित स्टॉक को बेचने या प्रदर्शित करने या बेचने का प्रस्ताव करने की अनुमति इस शर्त के अध्यधीन होगी कि ऐसे आयातक/विनिर्माता *ने* ब्यूरो के समक्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित इस आशय की घोषणा की हो।

[फा. सं. पी-14031/136/2022-सीआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

नोट:- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या सां.आ. 2986(अ), दिनांक 5 जुलाई, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 20th September, 2024

S.O. 4230(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Flame- Producing Lighters (Quality Control) Order, 2023, namely :-

1. (1) This Order may be called the Flame- Producing Lighters (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Flame- Producing Lighters (Quality Control) Order, 2023, in Paragraph 2, -

(a) in sub-paragraph (2), for the words "Provided that nothing", the word "Nothing" shall be substituted;

(b) in sub-paragraph (3), for the words "Provided further that nothing", the word "Nothing" shall be substituted;

(c) after the sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

(4) Nothing in this Order shall apply to goods or articles domestically manufactured or imported before the date of commencement of this Order by the manufacturer certified by the Bureau or manufacturer who has applied to the Bureau for certification or by the importer of such goods and articles and such manufacturer or importer shall be permitted to sell or display or offer to sell such declared stock up to six months from the date of commencement of the Flame- Producing Lighters (Quality Control) Amendment Order, 2024 subject to the condition that such manufacturer or importer shall make a declaration to this effect certified by a Charted accountant to the Bureau.

[F. No. P-14031/136/2022-CI]

SANJIV, Jt. Secy.

Note.-The principal Order was published in the Gazette of India, the Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(ii) vide notification number S.O. 2986(E), dated the 5th July, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.09.26 21:34:43 +05'30'